

राजस्थान सरकार
राजस्व § गुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 6 § 13 § राज-6/95 / 30

जयपुर, दिनांक:- 18.8.2000

-: अ धि सू च ना :-

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15 § की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5 § 109 § राजस्व-ख/60 दिनांक 20.7.63 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश के पैरा 2 के खण्ड § क § में, शब्द " प्राथमिक विद्यालयों " के स्थान पर शब्द " प्राथमिक विद्यालयों/ राजीव गांधी पाठशालाओं " प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

राज्यपाल के आदेश से ,

§ शिव कुमार शर्मा §
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव / राजस्व मंत्री / सचिव, राजस्व ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, आर0आर0टी0आई0, अजमेर ।
6. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ ।
8. " राविरा " राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
9. उच्च निबन्धक, § वित्त एवं लेखा § राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. विधि संहिताकरण विभाग ।
11. राजस्व § समन्वय § विभाग ।
12. संयुक्त रजिस्ट्रार, न्यायाधीश पुस्तकालय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
13. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव